महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः व0वि0–स्कू0शि0–1/दिशा–निर्देश/4054/2024–25 दिनांकः 12 अगस्त, 2024

विषयः स्कूलों में दण्ड पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 12166 दिनांक 03 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक दण्ड न दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये थे। उक्त के सम्बन्ध में पुनः निम्नवत् निर्देशित किया जाता है कि–

➢ "शासनादेश संख्या 1466/15–7–2007, शिक्षा (7) अनुभाग, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 द्वारा जिसमें बच्चों को शारीरिक दण्ड दिये जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति का द्योतक मानते हुए हिंसा को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया है। इसके साथ ही बच्चों को शारीरिक दण्ड में यथा– **बच्चों को झाड़ना, फटकारना, परिसर में दौड़ना, चिकोटी काटना, छड़ी से पिटना, चिकोटी काटना, चाटा मारना, चपत जमाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, क्लासरूम में अकेले बन्द कर देना, बिजली का झटका देना एवं अन्य सभी प्रकार के वे कृत्य जो अपमानित करके नीचा दिखाने, शारीरिक एवं मानसिक रूप से आघात पहुँचाने और अन्ततः मृत्यु कारित करने वाले हों,** सम्मिलित है।"

उक्त शासनादेश में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग को निम्नवत् निर्देश दिये गये है–

- समस्त बच्चों को व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाये कि उन्हें शारीरिक दण्ड के विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाये।
- प्रत्येक स्कूल जिसमें छात्रावास, जे0जे0 होम्स, बाल संरक्षण गृह एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाऐं भी सम्मिलित है, में एक ऐसा फोरम बनाया जाये जहॉ बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसे संस्थानों को किसी एन0जी0ओ0 की सहायता भी लेनी चाहिए।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

Scanned with CamScanner

- प्रत्येक स्कूल में एक शिकायत–पेटिका भी होनी चाहिए जिसमें छात्र शिकायती पत्र अनाम शिकायती पत्र भी डाल सकें।

- अभिभावक शिक्षक समिति अथवा समान प्रकृति की कोई अन्य समिति नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करें।

- अभिभावक शिक्षक समिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्राप्त शिकायतों पर बिना समय गॅवाये तत्परता से कार्यवाही करें ताकि कोई दारूण स्थिति न उत्पन्न हो सके। दूसरे शब्दों में अभिभावक शिक्षक समिति को शिकायत की गम्भीरता पर अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

- अभिभावकों के साथ–साथ बच्चों को भी शारीरिक दण्ड के विरोध में भयमुक्त होकर अपनी आवाज उठाने के लिए अधिकृत किया जाये वगैर इस बात से भयाकान्त हुए कि इससे स्कूलों में बच्चों की भागीदारी पर कुप्रभाव पड़ेगा।

- शिक्षा विभाग ब्लाक स्तर, जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर ऐसी प्रकिया स्थापित करे जिससे बच्चों की शिकायतों एवं उन पर कृत कार्यवाही की समीक्षा की जा सके।

उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अध्याय 4 के बिन्दु सं0 17(1) व (2) में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है–**17(1) में किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 17(2) में जो कोई उपधारा(1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे व्यक्ति का लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई का दायी होगा।**
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अध्याय 6 के बिन्दु सं0 31(1) व 32 (1) में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है –31(1) में बालक के शिक्षा के अधिकार को मानिटर करना तथा बिन्दु सं0 32(1) में शिकायतों को दूर करने का प्राविधान निर्धारित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–5 के संख्या 2510/79–5–2011–29/09, लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 2011 के द्वारा उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के भाग तीन नियम 5 के उपनियम 3 व 4 में निम्न प्राविधान किये गये नियम **(3)** स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विद्यालय में किसी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव न किया जाय तथा नियम **(4)** स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षा में, मध्याह्न

Scanned with CamScanner

भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल एवं प्रसाधन सुविधाओं के प्रयोग में एवं प्रसाधनों अथवा कक्षाओं की सफाई में कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई विभेदकारी अथवा अलगाववादी व्यवहार न किया जाय।

➢ उक्त के साथ अध्याय–8 में बाल अधिकार का संरक्षण के धारा–31 के बिन्दु – 25 पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की रीति में निम्नलिखित प्राविधान है–

(1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) द्वारा पत्र/दूरभाष/एस0एम0एस0 के माध्यम युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्प लाईन स्थापित की जायेगी तथा जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज करने के लिए मंच के रूप इस रीति से कार्य करेगी कि उसकी पहचान अभिलिखित की जायेगी, किन्तु उसे प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) प्रारम्भिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के विनिश्चय के पश्चात् अपील, यथास्थिति विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10–क के अधीन नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए नगरपालिका को की जा सकती है। समस्त शिकायतों का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑनलाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्ण कार्यवाही के माध्यम से किया जायेगा।

प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को उनके अधिकारों से परिचित कराने तथा उनके प्रति भेदभाव न किये जाने के सम्बन्ध में **"सुरक्षा एवं संरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल"** राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 द्वारा तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के अन्तर्गत अध्यापकों को वृहद् रूप से छात्र–छात्राओं के सुरक्षा एवं संरक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विषय बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है–सुरक्षा एवं संरक्षाःअभिप्राय एवं आयाम, विद्यालय स्तर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, साइबर सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे, कानूनी प्रावधान एवं नीतियाँ, शिकायत निवारण तंत्र, विभिन्न स्तरों पर हितधारक, उनकी जिम्मेदारियाँ एवं अपेक्षाएँ, सुरक्षा संरक्षा किट एवं आकस्मिक चिकित्सा, बाल सुरक्षा एवं संरक्षा समिति, सुरक्षा योजना निर्माण के चरण जिसके प्रथम अध्याय में विस्तृत से दण्ड के विविध प्रकारों का विवरण दिया गया यथा–

Scanned with CamScanner

विद्यालयों में शारीरिक उत्पीड़न के सामान्य रूप (शिक्षक द्वारा/सहपाठियों द्वारा)	भावात्मक उत्पीड़न के रूप में	सामाजिक उत्पीड़न के रूप में	यौन क्षेत्र में 'सुरक्षा एवं संरक्षा' तथा यौन उत्पीड़न/लैंगिक अपराध
पंच मारना, नोचना, धक्का देना, लात मारना, थप्पड़ मारना, कान ऐंठना, हाथ से/छड़ी से/लोहे की रॉड से मारना, उँगली के पोर पर मारना, बच्चे की पीठ पर मारना, एक बच्चे के सिर को दूसरे बच्चे के सिर से लड़ाना, बच्चे को किताब कॉपी न लाने के लिये के लिये खड़ा करना, बच्चे के सिर पर वज़न रखकर खड़ा करना, बच्चे को कुर्सी के आकार में/मुर्गा बनाकर/धूप में खड़ा करना/बच्चे को खेल के मैदान के चारों तरफ या विद्यालय के चारों तरफ दौड़ाना, बच्चे को उठक–बैठक करवाना, बच्चे के सिर को दीवार से लड़ाना।	मौखिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, बच्चे को गंभीर व्यवहारात्मक, भावात्मक या मानसिक सदमा पहुँचाना, बन्द कमरे व अंधेरे कमरे में बच्चो को बन्द करना, बच्चे को लम्बे समय के लिए कुर्सी से बॉध देना व बच्चे को डराना/घमकाना आदि। बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करना जैसे ऑखें तरेरना, कक्षा से बाहर करना, कक्षा में नज़रअंदाज करना, बच्चों को बार–बार टोक कर यह अहसास दिलाना कि वो किसी काम का नहीं है, बच्चों को एक दूसरे से थप्पड़ मरवाना व अपशब्दों का प्रयोग आदि।	जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव (महिला और पुरूष), वर्ण, रंग के आधार पर भेदभाव, आकार आधारित भेदभाव, पैतृक व्यवसाय, अपमानजनक तरीके से जाति के नाम से पुकारना, पैतृक पेशे के आधार पर अपमानित करना, अलग बैठाना, कक्षा में पीछे बैठने के लिए कहना, मिड–डे–मील के लिए एक साथ न बैठाना, वंचित वर्ग के बच्चों द्वारा कोई प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा उत्तर न देना आदि।	बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों के निजी अंगों को छूना, बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीर लेना, आपत्तिजनक गतिविधियॉ करना, विडियो बनाना, दुपट्टा खींचना, जब लड़कियॉ घर/विद्यालय जा रही हों तो उन पर भद्दी टिप्पणी करना, लड़कों द्वारा लड़कियों को गलत नजरिये से देखना आदि।

अतः जनपदों के समस्त निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित विद्यालयों को प्रशिक्षण मॉड्यूल की सॉफ्ट प्रति प्रेषित करते हुए यह निर्देश प्रेषित करे कि प्रशिक्षण मॉड्यूल में दिये गये बच्चों के सुरक्षा संरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न आयामों से सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित कराना

Scanned with CamScanner

सुनिश्चित करें। परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं को ऑफ लाइन मोड में उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण की जाये एवं इसके साथ ही यदि शिक्षक/शिक्षिकायें अवशेष रहते है तो उन्हें ऑनलाइन मोड में बी0आर0सी0/संकुल की बैठक के माध्यम से सुरक्षा एवं संरक्षा के विभिन्न मॉडयूल के आयामों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। यदि किसी शिक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राविधानित दण्डों के बारे में भी अवगत कराया जाये।

- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 406/2023 तुषार गांधी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है जो बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और किसी भी प्रकार के दण्ड न दिये जाने के सम्बन्ध में समस्त शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 12166 दिनांक 03 जनवरी, 2024 के द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये है–
- विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/विद्यालय प्रबन्धतंत्र के सदस्यों को कारपोरेल पनिशमेन्ट (corporal punishment) तथा बच्चों को दण्डित किये जाने, बच्चों के साथ जातिगत, धर्मगत, भेदभाव न करने, लैगिंक उत्पीड़न न करने तथा आर0टी0ई0 एक्ट–2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2011, सी0आर0पी0सी0 के प्राविधान तथा शिकायत निवारण सिस्टम को अधिक उत्तरदायी बनाने विषयक जनपद में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने आदि विषयों की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है–

  - एन0सी0पी0सी0आर0 एवं एस0सी0पी0सी0आर0 की प्रतियां हिन्दी/उर्दू में यथावश्यक अनुवादित कराकर सभी स्कूलों में साफ्ट/हार्डकापी में उपलब्ध कराएं जिससे सभी अभिभावक एवं बच्चों को राष्ट्रीय बाल शिक्षा अधिकार संरक्षण एवं उ0प्र0 राज्य बाल संरक्षण आयोग तथा बाल अधिकारों के प्रति जानकारी हो सके।
  - सभी विद्यालय प्रबन्धतंत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली अभिभावक – शिक्षक बैठक में आर0टी0ई0 एक्ट 2009 निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की कार्यपद्धति, कारपोरेल पनिशमेन्ट आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
  - जनपद के सभी विद्यालयों को इस आशय के निर्देश प्रसारित करे कि बच्चें की निजता (privacy) को ध्यान में रखते हुए उसका मीडिया ट्रायल न किया जाये।
- विद्यालय में पठन–पाठन से सम्बन्धित बच्चों एवं अभिभावकों तथा जनसामान्य की

Scanned with CamScanner

शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु **जून, 2024 में मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क टोल फ्री नम्बर (1800–889–3277) का शुभारम्भ किया गया है।** उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त टोल फ्री नं0 जनपद के प्रत्येक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर/मुख्य प्रवेशद्वार पर स्थायी रूप से अंकित कराया जाये तथा उक्त टोल फ्री नं0 पर प्राप्त शिकायतों/सुझावों की मानीटरिंग प्रदेश स्तर से की जा रही है साथ ही पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये तथा ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक के एजेण्डा बिन्दु में भी सम्मिलित किया जाये।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

पृ0सं0–व0वि0–स्कू0शि0–1/दिशा–निर्देश/ — /2024–25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद
4. शिक्षा निदेशक माध्यमिक/बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल।
6. सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, समस्त मण्डल।

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

Scanned with CamScanner